अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता है।

धारा 129-ख. ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन.- (1) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी "ग्राम" को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

(2) साधारणतया, ग्राम के लिये, जैसा कि उपधारा (1) में परिभाषित है, एक ग्राम सभा होगी :

परन्तु ग्राम सभा के सदस्य, यदि ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्रामसभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवास का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगा।

(3) "ग्राम सभा" के सम्मिलन के लिये "ग्राम सभा" के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई से गणपूर्ति होगी जिसमें से कम से कम एक-तिहाई महिला सदस्य होंगी।

(4) "ग्राम सभा" के सम्मिलन की अध्यक्षता, ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य न हो और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्वाचित किया गया हो।

टिप्पणी (धारा 129-ख)

(1) अध्याय 14-क में अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के टपरे - झोपड़ियाँ बनी रहती हैं उनमें रहने वाले आदिवासी समुदाय के पुरवा या खुड़ा (छोटे-छोटे मुहल्ले जैसे) होते हैं जिन्हें "पुरा" भी बुन्देलखंड में कहते हैं, खुड़ा भी कहते हैं जहां समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, के बारे में उल्लेख किया गया है।

(2) ग्राम सभा के "ग्राम" में एक से अधिक ग्राम सभा गठित की जा सकती हैं, आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में आदिम संस्कृति एवं सभ्यता के अनुरूप परम्परागत रीति रिवाज के आधार पर वे अपने क्रिया कलापों को मूर्त रूप देंगे, अपने ढंग से प्रबंध करेंगे।

(3) ग्राम सभा के कोरम की पूर्ति - ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों की संख्या गणपूर्ति के लिये पर्याप्त है किंतु इन एक तिहाई सदस्यों की संख्या में भी एक तिहाई महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। संख्या एक तिहाई सदस्यों की कम न होने का अर्थ यह है कि कुल सदस्य संख्या सम्मिलन की तारीख पर जितनी उसकी एक तिहाई संख्या सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिए, यदि 1/3 एक तिहाई के गणित में आधी सदस्य संख्या आती है तो उसे पूरा सदस्य गणना में लिया जायगा, इस एक तिहाई सदस्य संख्या की भी एक तिहाई सदस्य महिला सदस्यों की उपस्थिति होना अपेक्षित है - मान लीजिये कुल सदस्य संख्या 16 है तो एक तिहाई सदस्य से कम नहीं होने के कानूनी उपबंध की पूर्ति करने के लिये '5' सदस्य एक तिहाई से कम होंगे - इसलिए 6 सदस्य की गणपूर्ति मानी जायगी, इन छह सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। पाठ इस प्रकार है -

"Not less than one-third of total, number of members of the "Gram Sabha" shall form a Quorum for meeting of the Gram Sabha out of which not less than one-third shall be women members."

(4) ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता भी अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के सदस्य गणों में से ही बहुमत से चुना जायगा जो किसी अन्य पंचायत का सदस्य/सरपंच/उपसरपंच नहीं होगा,